कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग,रेनूकूट
सोनभद्र– (उ0प्र0)

☎05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 431 /रेनुकूट/ 15– 38 दिनांक, रेनुकूट, 30 – 07 – , 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– Proposal of Renewal for diversion of 185.84 ha of Forest Land in favour of M/s Northern Coalfields Limited for Coal Mining in Kakri Open Cast Coal Mining in Sonbhadra District in the State of Uttar Pradesh (Online No. FP/UP/MIN/29061/2017) reg.

संदर्भः– 1–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज नई दिल्ली का पत्र संख्या– 8–350/1987–एफ0सी0(Vol) दिनांक– 24.05.2022
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 3332/11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक– 25.05.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–24.05.2022 द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करते हुए निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज नई दिल्ली के पत्र संख्या– 8–350/1987–एफ0सी0 (Vol) दिनांक– 24.05.2022 में अंकित बिन्दु	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	The complete compliance of the Ministry's earlier approval issued vide order No. 8-350/1987-FC dt. 30.05.1989 has not been received in this office. The State Govt. is again requested to submit the same.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ककरी परियोजना को भारत सरकार द्वारा गैर वानिकी प्रयोग हेतु दी गयी वन भूमि में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन PARIVESH पोर्टल के प्रस्ताव संख्या एफ़पी/यूपी/एमआईएन/29061/ 2017 के भाग-1 के I-5 में अपलोड किया गया है जिसकी प्रति पुनः संलग्न हे ।
2	The area involved is more than 40 Ha and therefore the site inspection by CF/CCF is required. The State Govt. is therefore again	इस बिंदु के अनुपालन में प्रभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं ।

Scanned with CamScanner

	requested to submit the Site Inspection Report of CF/CCF.	
3	The CDs containing the KML file, Geo-referenced Map, Topo-sheet etc. pertaining to the CA land and the 185.84 Ha area proposed for renewal of lease have not been received in this office. The same are also not available on PARIVESH portal. The same are therefore required to be submitted.	इस बिंदु के अनुपालन में अवगत करना है कि एन.सी.एल द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित 185.84 है. वन भूमि से सम्बंधित geo-refrenced map एवं toposheet PARIVESH पोर्टल में अपलोड किया गया है । CA land से सम्बंधित geo-refrenced map एवं toposheet की प्रति प्रस्ताव में पूर्व से संलग्न है । सी0 ए0 मानचित्र को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उसके के0एम0एल0 फाइल पेन ड्राइव में संलग्न है ।
4	The State Govt. has intimated that the user agency has violated the provisions of FCA 1980 by leasing out 18.2608 acre Forest land. The State Govt. may therefore initiate the process of taking action against the said violation and submit report to the ministry.	इस बिंदु के अनुपालन में अवगत करना है कि 18.2608 एकड़ वन भूमि के उल्लंघन के प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक– 419/11–सी दिनांक– 20.08.2015 द्वारा प्रकरण प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है । प्रकरण में प्रभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नही है ।
5	The State Govt. has still not submitted the valid lease document pertaining to the instant proposal.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में पट्टाविलेख उपलब्ध कराया गया था जो कतिपय कारणो से अनुमोदित नही हो पाया । उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– 454/81–2–2020 ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 28 मई 2020 द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के समस्त प्रकरणो मे **Transfer of property Act 1882** के तहत संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया । उक्त निर्देश के क्रम में प्रभाग द्वारा विभिन्न पत्रो के माध्यम से एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना से संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया । उक्त अनुरोध के क्रम में महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी परियोजना ने अपने पत्र संख्या– ककरी/महाप्रबन्धक/वन/2020/464 दिनांक– 12.08.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के रिट याचिका संख्या– 33050/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक– 14.07.2010 के आधार पर पट्टाविलेख के निष्पादन संबंधी कार्यवाही को स्थगित करने हेतु अनुरोध किया गया । माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा रिट याचिका संख्या– 33050/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक– 14.07.2010 के संबंध में वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :– " जनपद–मीरजापुर, वर्तमान में सोनभद्र जिले में दुद्धीचुऑ एवं खड़िया कोयला परियोजनाओ हेतु 1305 हे0 वन भूमि भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–298/87–एफ0सी0 दिनांक–30.07.1990 एवं इसके क्रम में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– एल 1319/14–3–929/87 वन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक– 04.01.1991 द्वारा 40 वर्षो हेतु

Scanned with CamScanner

		लीज पर दी गयी है । उक्त आदेश के अनुपालन में पट्टाविलेख की प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी । पट्टाविलेख के निष्पादन के संबंध में उच्च स्तर से कुछ अभिलेखो की माँग की गयी जिसे उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के विभिन्न पत्रो द्वारा नार्दन कोल फील्डस लि0 की दुद्धीचुआँ एवं खड़िया परियोजना से अनुरोध किया गया किन्तु एन0सी0एल0 के स्तर से अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र संख्या– 4021/रेनुकूट/15–39 दिनांक– 08.04.2010 द्वारा डम्पिंग कार्य पर रोक लगा दी गयी । प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट के उक्त पत्र दिनांक–08.04.2010 से क्षुब्ध होकर एन0सी0एल0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के समक्ष रिट याचिका संख्या– 33050/2010 दाखिल किया गया । उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा दिनांक– 14.07.2010 को स्थगन आदेश जारी किया गया है "। उक्त आदेश केवल एन0सी0एल0 की दुद्धीचुआँ एवं खड़िया परियोजना हेतु ही लागू है इसका उल्लेख करते हुए प्रभाग द्वारा एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना से संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा पारित उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक– 14.07.2010 ककरी परियोजना पर भी लागू होने का उल्लेख करते हुए संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध नही कराया जा रहा है जो उ0प्र0 शासन द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में जारी मूल आदेश दिनांक–28.12.1989 व वर्तमान में जारी संदर्भित आदेश दिनांक– 28 मई 2020 का उल्लंघन है । उपरोक्ता कारणो से पट्टाविलेख का निस्पादन नही हो पाया है ।
6	The copy of clear recommendations of CCF in part 3 and Nodal Officer in part 4 have still not been submitted.	इस बिंदु के अनुपालन में प्रभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार पेन ड्राइव चार अदद सहित ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या–431 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी परियोजना, ककरी–सोनभद्र को उनके पत्र संख्या– 314 दिनांक– 29.07.2022 के क्रम मे सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with CamScanner